

न्यायामूर्ति श्री एस.एन.भार्गव (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधिपति), अध्यक्ष, फीस निर्धारित कमेटी की अध्यक्षता में दिनांक 28.08.2025 को आयुर्वेद/ यूनानी/ होम्योपैथी/योग एवं प्राकृतिक निजी महाविद्यालय के शुल्क निर्धारण समिति की आयोजित बैठक में की गई अभिशंषा के आधार पर राज्य के समस्त आयुर्वेद निजी महाविद्यालय/विश्वविद्यालयों में संचालित आयुष पाठ्यक्रमों हेतु शैक्षणिक सत्र 2025-26 से निम्न प्रकार फीस निर्धारित की जाती है-

स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों हेतु-

क्र.स.	पाठ्यक्रम	वर्तमान वार्षिक फीस रु.	नवीन निर्धारित वार्षिक फीस रु.
1	B.A.M.S.	2.00 लाख वार्षिक	2.80 लाख वार्षिक

स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रमों हेतु -

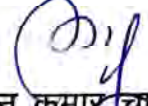
क्र.स.	पाठ्यक्रम	वर्तमान वार्षिक फीस रु.	नवीन निर्धारित वार्षिक फीस रु.
1	PG Courses in Ayurved	2.00 लाख वार्षिक	2.80 लाख वार्षिक

- समिति द्वारा निर्धारित यह फीस शैक्षणिक सत्र 2025-26 में प्रवेश लिये जाने वाले विद्यार्थियों के लिए लागू होगी तथा पाठ्यक्रम के प्रतिवर्ष उक्त फीस राशि व शेष 6 माह के लिए निर्धारित फीस का 50 प्रतिशत शुल्क लिया जायेगा। समिति द्वारा उक्त निर्धारित फीस सभी प्रकार के शुल्कों सहित है, इसके अतिरिक्त कोई भी शुल्क देय नहीं होगा। महाविद्यालयों द्वारा ली जाने वाली कॉशन मनी/सुरक्षा राशि अथवा अन्य रिफ्रण्डेबल शुल्क राशि विद्यार्थी के पाठ्यक्रम अवधि समाप्ति अथवा पाठ्यक्रम को मध्य में छोड़ने के दो माह के अन्तर्गत विद्यार्थी के बैंक खाते में आवश्यक रूप से जमा करवा दी जावे।


RAHUL

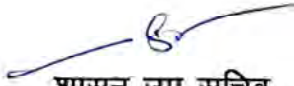
- यदि कोई विद्यार्थी प्रथम वर्ष की फीस जमा कराने के पश्चात् चालू सत्र में किसी अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रम जैसे एम.बी.बी.एस./ इंजिनियरिंग / बी.एस.सी. एग्रीकल्चर आदि में प्रवेश लेने हेतु कॉलेज छोड़ता है तो उसकी 90 प्रतिशत फीस राशि तुरन्त लौटा दी जावे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(सावन कुमार कासल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. न्यायामूर्ति श्री एस.एन. भार्गव (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधिपति, 20/46, अम्बेडकर मार्ग, रेणु पथ, मानसरोवर जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय, आयुष विभाग।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव आयुष विभाग।
5. सचिव, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (NCISM), पंजाबी बाग (पश्चिम) नई दिल्ली।
6. निदेशक/पित्त सलाहकार, आयुर्वेद विभाग अजमेर।
7. निदेशक होम्योपैथी/ यूनानी चिकित्सा विभाग जयपुर।
8. श्री बी.एल.गौड़, पूर्व कुलपति, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर 80, सेनापति हाऊस से पीछे, प्रेमनगर-झोंटवाडा जयपुर।
9. वैद्य रघुनन्दन शर्मा, ए-632, विद्युत नगर अजमेर रोड जयपुर।
10. श्री सुनील गोयल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्लॉट नं. 1, संग्राम कॉलोनी, सी-स्कीम जयपुर।
11. कुलसचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
12. प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर।
13. चैंयरमैन, राजस्थान राज्य आयुष नीट काउंसिलिंग बोर्ड, आयुष भवन प्रताप नगर जयपुर (समस्त महाविद्यालय को सूचित करने हेतु)
14. रजिस्ट्रार इंडियन मेडिसिन बोर्ड/ होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड/ राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद् जयपुर।
15. प्राचार्य, समस्त निजी आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथी योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय राजस्थान।


शासन उप सचिव

आदेश

29 AUG 2025

न्यायामूर्ति श्री एस.एन.भार्गव (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधिपति), अध्यक्ष, फीस निर्धारित कमेटी की अध्यक्षता में दिनांक 28.08.2025 को आयुर्वेद/ यूनानी/ होम्योपैथी/योग एवं प्राकृतिक निजी महाविद्यालय के शुल्क निर्धारण समिति की आयोजित बैठक में की गई अभिशंषा के आधार पर राज्य के समस्त होम्योपैथी निजी महाविद्यालय/विश्वविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु शैक्षणिक सत्र 2025-26 से निम्न प्रकार फीस निर्धारित की जाती है—

स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों हेतु—

क्र.स.	पाठ्यक्रम	वर्तमान वार्षिक फीस रु.	नवीन निर्धारित वार्षिक फीस रु.
1	B.H.M.S.	1.30 लाख वार्षिक	1.82 लाख वार्षिक

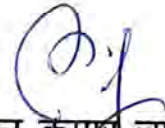
स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रमों हेतु —

क्र.स.	पाठ्यक्रम	वर्तमान वार्षिक फीस रु.	नवीन निर्धारित वार्षिक फीस रु.
1	PG Courses in Homoeopathy	1.75 लाख वार्षिक	2.45 लाख वार्षिक

- समिति द्वारा निर्धारित यह फीस शैक्षणिक सत्र 2025-26 में प्रवेश लिये जाने वाले विद्यार्थियों के लिए लागू होगी तथा पाठ्यक्रम के प्रतिवर्ष उक्त फीस राशि व शेष 6 माह के लिए निर्धारित फीस का 50 प्रतिशत शुल्क लिया जायेगा। समिति द्वारा उक्त निर्धारित फीस सभी प्रकार के शुल्कों सहित है, इसके अतिरिक्त कोई भी शुल्क देय नहीं होगा। महाविद्यालयों द्वारा ली जाने वाली कॉशन मनी/सुरक्षा राशि अथवा अन्य रिफण्डेबल शुल्क राशि विद्यार्थी के पाठ्यक्रम अवधि समाप्ति अथवा पाठ्यक्रम को मध्य में छोड़ने के दो माह के अन्तर्गत विद्यार्थी के बैंक खाते में आवश्यक रूप से जमा करवा दी जावे।

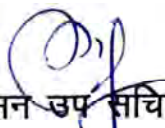
- यदि कोई विद्यार्थी प्रथम वर्ष की फीस जमा कराने के पश्चात् चालू सत्र में किसी अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रम जैसे एम.बी.बी.एस./ इंजिनियरिंग /बी.एस.सी. एग्रीकल्चर आदि में प्रवेश लेने हेतु कॉलेज छोड़ता है तो उसकी 90 प्रतिशत फीस राशि तुरन्त लौटा दी जावे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(सावन कुमार चायल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :—

1. न्यायामूर्ति श्री एस.एन. भार्गव (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधिपति, 20/46, अम्बेडकर मार्ग, रेणु पथ, मानसरोवर जयपुर)
2. विशिष्ट सहायक, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय, आयुष विभाग।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव आयुष विभाग।
5. सचिव, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग(NCISM), पंजाबी बाग (पश्चिम) नई दिल्ली।
6. निदेशक/वित्त सलाहकार, आयुर्वेद विभाग अजमेर।
7. निदेशक होम्योपैथी/ यूनानी चिकित्सा विभाग जयपुर।
8. श्री बी.एल.गौड, पूर्व कुलपति, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर 80, सेनापति हाऊस से पीछे, प्रेमनगर-झोटवाडा जयपुर।
9. वैद्य रघुनन्दन शर्मा, ए-632, विद्युत नगर अजमेर रोड जयपुर।
10. श्री सुनील गोयल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्लॉट नं. 1. संग्राम कॉलोनी, सी-स्कीम जयपुर।
11. कुलसचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
12. प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर।
13. चैयरमैन, राजस्थान राज्य आयुष नीट काउंसिलिंग बोर्ड, आयुष भवन प्रताप नगर जयपुर (समस्त महाविद्यालय को सूचित करने हेतु)
14. रजिस्ट्रार इंडियन मेडिसिन बोर्ड/ होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड/ राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद् जयपुर।
15. प्राचार्य, समस्त निजी आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथी योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय राजस्थान।


शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग
कमांक: प.2(15)आयु / 2024-02164 जयपुर, दिनांक :

आदेश

29 AUG 2025

न्यायामूर्ति श्री एस.एन.भार्गव (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधिपति), अध्यक्ष, फीस निर्धारित कमेटी की अध्यक्षता में दिनांक 28.08.2025 को आयुर्वेद / यूनानी / होम्योपैथी / योग एवं प्राकृतिक निजी महाविद्यालय के शुल्क निर्धारण समिति की आयोजित बैठक में की गई अभिशंषा के आधार पर राज्य के समस्त यूनानी निजी महाविद्यालय / विश्वविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु शैक्षणिक सत्र 2025-26 से निम्न प्रकार फीस निर्धारित की जाती है—

स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों हेतु—

क्र.स.	पाठ्यक्रम	वर्तमान वार्षिक फीस रु.	नवीन निर्धारित वार्षिक फीस रु.
1	B.U.M.S.	1.30 लाख वार्षिक	1.82 लाख वार्षिक

- समिति द्वारा निर्धारित यह फीस शैक्षणिक सत्र 2025-26 में प्रवेश लिये जाने वाले विद्यार्थियों के लिए लागू होगी तथा पाठ्यक्रम के प्रतिवर्ष उक्त फीस राशि व शेष 6 माह के लिए निर्धारित फीस का 50 प्रतिशत शुल्क लिया जायेगा। समिति द्वारा उक्त निर्धारित फीस सभी प्रकार के शुल्कों सहित है, इसके अतिरिक्त कोई भी शुल्क देय नहीं होगा। महाविद्यालयों द्वारा ली जाने वाली कौशन मनी / सुरक्षा राशि अथवा अन्य रिफण्डेबल शुल्क राशि विद्यार्थी के पाठ्यक्रम अवधि समाप्ति अथवा पाठ्यक्रम को मध्य में छोड़ने के दो माह के अन्तर्गत विद्यार्थी के बैंक खाते में आवश्यक रूप से जमा करवा दी जावे।
- यदि कोई विद्यार्थी प्रथम वर्ष की फीस जमा कराने के पश्चात् चालू सत्र में किसी अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रम जैसे एम.बी.बी.एस. / इंजिनियरिंग / बी.एस.सी. एग्रीकल्चर आदि

में प्रवेश लेने हेतु कॉलेज छोड़ता है तो उसकी 90 प्रतिशत फीस राशि तुरन्त लौटा दी जावे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(सावन कुमार चायल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. न्यायामूर्ति श्री एस.एन. भार्गव (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधिपति, 20/46, अम्बेडकर मार्ग, रेणु पथ, मानसरोवर जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय, आयुष विभाग।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव आयुष विभाग।
5. सचिव, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग(NCISM), पंजाबी बाग (पश्चिम) नई दिल्ली।
6. निदेशक/वित्त सलाहकार, आयुर्वेद विभाग अजमेर।
7. निदेशक होम्योपैथी/ यूनानी चिकित्सा विभाग जयपुर।
8. श्री बी.एल.गौड, पूर्व कुलपति, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर 80, सेनापति हाऊस से पीछे, प्रेमनगर-झोटवाडा जयपुर।
9. वैद्य रघुनन्दन शर्मा, ए-632, विद्युत नगर अजमेर रोड जयपुर।
10. श्री सुनील गोयल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्लॉट नं. 1. संग्राम कॉलोनी, सी-स्कीम जयपुर।
11. कुलसचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
12. प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर।
13. चैयरमैन, राजस्थान राज्य आयुष नीट काउंसलिंग बोर्ड, आयुष भवन प्रताप नगर जयपुर (समस्त महाविद्यालय को सूचित करने हेतु)
14. रजिस्ट्रार इंडियन मेडिसिन बोर्ड/ होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड/ राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद् जयपुर।
15. प्राचार्य, समस्त निजी आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथी योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय राजस्थान।


शासन उप सचिव

न्यायामूर्ति श्री एस.एन.भार्गव (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधिपति), अध्यक्ष, फीस निर्धारित कमेटी की अध्यक्षता में दिनांक 28.08.2025 को आयुर्वेद/ यूनानी/ होम्योपैथी/योग एवं प्राकृतिक निजी महाविद्यालय के शुल्क निर्धारण समिति की आयोजित बैठक में की गई अभिशंषा के आधार पर राज्य के समस्त योग एवं प्राकृतिक निजी महाविद्यालय/विश्वविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु शैक्षणिक सत्र 2025-26 से निम्न प्रकार फीस निर्धारित की जाती है—

स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों हेतु—

क्र.स.	पाठ्यक्रम	वर्तमान वार्षिक फीस रु.	नवीन निर्धारित वार्षिक फीस रु.
1	B.N.Y.S.	90,000 वार्षिक	1.26 लाख वार्षिक

- समिति द्वारा निर्धारित यह फीस शैक्षणिक सत्र 2025-26 में प्रवेश लिये जाने वाले विद्यार्थियों के लिए लागू होगी तथा पाठ्यक्रम के प्रतिवर्ष उक्त फीस राशि व शेष 6 माह के लिए निर्धारित फीस का 50 प्रतिशत शुल्क लिया जायेगा। समिति द्वारा उक्त निर्धारित फीस सभी प्रकार के शुल्कों सहित है, इसके अतिरिक्त कोई भी शुल्क देय नहीं होगा। महाविद्यालयों द्वारा ली जाने वाली कॉशन मनी/सुरक्षा राशि अथवा अन्य रिफण्डेबल शुल्क राशि विद्यार्थी के पाठ्यक्रम अवधि समाप्ति अथवा पाठ्यक्रम को मध्य में छोड़ने के दो माह के अन्तर्गत विद्यार्थी के बैंक खाते में आवश्यक रूप से जमा करवा दी जावे।
- यदि कोई विद्यार्थी प्रथम वर्ष की फीस जमा कराने के पश्चात् चालू सत्र में किसी अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रम जैसे एम.बी.बी.एस./ इंजिनियरिंग /बी.एस.सी. एग्रीकल्चर आदि

में प्रवेश लेने हेतु कॉलेज छोड़ता है तो उसकी 90 प्रतिशत फीस राशि तुरन्त लौटा दी जावे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(सावन कुमार घायल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. न्यायामूर्ति श्री एस.एन. भार्गव (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधिपति, 20/46, अम्बेडकर मार्ग, रेणु पथ, मानसरोवर जयपुर
2. विशिष्ट सहायक, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय, आयुष विभाग।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव आयुष विभाग।
5. सचिव, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग(NCISM), पंजाबी बाग (पश्चिम) नई दिल्ली।
6. निदेशक/वित्त सलाहकार, आयुर्वेद विभाग अजमेर।
7. निदेशक होम्योपैथी/ यूनानी चिकित्सा विभाग जयपुर।
8. श्री बी.एल.गौड, पूर्व कुलपति, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर 80, सेनापति हाऊस से पीछे, प्रेमनगर-झोटवाडा जयपुर।
9. वैद्य रघुनन्दन शर्मा, ए-632, विद्युत नगर अजमेर रोड जयपुर।
10. श्री सुनील गोयल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्लॉट नं. 1. संग्राम कॉलोनी, सी-स्कीम जयपुर।
11. कुलसचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
12. प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर।
13. चैयरमैन, राजस्थान राज्य आयुष नीट काउंसिलिंग बोर्ड, आयुष भवन प्रताप नगर जयपुर (समस्त महाविद्यालय को सूचित करने हेतु)
14. रजिस्ट्रार इंडियन मेडिसिन बोर्ड/ होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड/ राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद् जयपुर।
15. प्राचार्य, समस्त निजी आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथी योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय राजस्थान।


शासन उप सचिव